<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

29.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने केनरा बैंक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.08.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के माध्यम से दक्षिण गोवा में कई भूखंडों और एक आवासीय विला सहित 2.86 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने मेसर्स क्राउन मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (सीएमटीसी) और उसके साझेदारों के खिलाफ सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गोवा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की। साझेदारों पर 7.00 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त करके धोखाधड़ी करके केनरा बैंक को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसे बाद में चुकाया नहीं गया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि सीएमटीसी के साझेदारों ने कच्चे लौह अयस्क के व्यापार का झूठा बहाना बनाकर केनरा बैंक से 7.00 करोड़ रुपये की ओपन कैश क्रेडिट (ओसीसी) सुविधा प्राप्त की। आरोपियों ने बेईमानी से उन संपत्तियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रख दिया जो पहले से ही कई अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी थीं।

ऋण वितरित होने के तुरंत बाद, फर्जी व्यापारिक लेनदेन की आड़ में धनराशि की हेराफेरी की गई और साझेदारों के निजी और स्वामित्व वाले बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई। ये अवैध धन, जो अपराध की आय (पीओसी) का गठन करते हैं, का उपयोग व्यक्तिगत लाभ और अन्य अचल संपत्तियां अर्जित करने के लिए किया गया।

कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 2.86 करोड़ रुपये है, जिनमें भागीदार रियाज़ शेख के धारबंदोरा में 22 भूखंड, प्रबंध भागीदार आदित्य एंगल के कुनकोलिम में दो भूखंड और फतोर्दा में एक रो विला शामिल हैं। ये संपत्तियाँ अवैध धन से अर्जित की गई थीं और पीओसी के मूल्य के बराबर हैं, इसलिए इन्हें कुर्क किया गया है।

इस मामले में कुल पीओसी 7.00 करोड़ रुपये आंकी गई है।